संख्या-224/2020/408/22-2-2020-17(144)/2020

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 26 जून, 2020***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी यासीन पुत्र रफीक, निवासी जनपद-अलीगढ़ की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-7904/प्रोवेशन-3/फार्म-ए (एम-26.02.2020) दिनांक-18.03.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी यासीन पुत्र रफीक, जो ग्राम-ईकरी, थाना-क्वार्सी, जनपद-अलीगढ़ का रहने वाला है। दिनांक 31.10.1982 को बंदी ने अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक से गोली मारकर कुल 03 लोगों की हत्या कर दी व श्रीमती लोंगश्री नामक महिला को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1937/1994 भा0द0सं0 की धारा-147, 148, 149, 302, 120बी के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0**-8**, अलीगढ़ के आदेश दिनांक 05.10.2004 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 14.08.2015 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 16.05.2017 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी के कभी पैरोल पर नहीं आने, बंदी द्वारा कारित अपराध जघन्य प्रकृति का होने, बंदी के युवा प्रतीत होने के कारण पुन अपराध करने की सम्भावना होने, बंदी की समयपूर्व रिहाई से समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ने के दृष्टिगत समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार न करने, बंदी के पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, समयपूर्व रिहाई से समाज में विपरीत प्रभाव पड़ने की आख्या का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि दिनांक 31.10.1982 को अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक से गोली मारकर 03 लोगों की हत्या करने व 01 अन्य को घायल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी के भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी यासीन पुत्र रफीक को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी यासीन (बन्दी संख्या-10243) पुत्र रफीक, निवासी जनपद-अलीगढ़ के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार कर दी गयी** है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

संख्या-224/2020/408(1)/22-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री को सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-224/2020/408/22-2-2020-17(144)/2020

दिनांक 26 जून, 2020 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी यासीन पुत्र रफीक, जो ग्राम-ईकरी, थाना-क्वार्सी, जनपद-अलीगढ़ का रहने वाला है। दिनांक 31.10.1982 को बंदी ने अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक से गोली मारकर कुल 03 लोगों की हत्या कर दी व श्रीमती लोंगश्री नामक महिला को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1937/1994 भा0द0सं0 की धारा-147, 148, 149, 302, 120बी के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0**-8,** अलीगढ़ के आदेश दिनांक 05.10.2004 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 14.08.2015 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 16.05.2017 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी के कभी पैरोल पर नहीं आने, बंदी द्वारा कारित अपराध जघन्य प्रकृति का होने, बंदी के युवा प्रतीत होने के कारण पुन अपराध करने की सम्भावना होने, बंदी की समयपूर्व रिहाई से समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ने के दृष्टिगत समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार न करने, बंदी के पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, समयपूर्व रिहाई से समाज में विपरीत प्रभाव पड़ने की आख्या का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि दिनांक 31.10.1982 को अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक से गोली मारकर 03 लोगों की हत्या करने व 01 अन्य को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी के भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी यासीन पुत्र रफीक को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in